

**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**

पत्रांक-13/अ0प्र0-01-16/2025

प्रेषक,

370

/पटना, दिनांक- 09.11.2025

आदित्य प्रकाश,  
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दानापुर एवं हथुआ।

विषय : मांग संख्या 37 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम उपमुख्य शीर्ष -00- लघुशीर्ष- 001- निदेशन एवं प्रशासन- उपशीर्ष- 0009- अभियंत्रण स्थापना (ग्रा0का0वि0) के चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में निधि का आवंटन ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में 06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में भुगतान हेतु कुल ₹ 0.45286 लाख (पैंतालीस हजार दो सौ छियासी) रू0 मात्र की राशि सारणी-1 के अनुसार कार्यालयों के नाम के सामने अंकित राशि के अनुरूप आवंटन प्रदान किया जाता है।

सारणी-1

(राशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	विवरण	आवंटित राशि	कार्यालय आदेश/ स्वीकृत्यादेश	पत्रांक/दिनांक
1	2	3	4	5	
1	कार्य प्रमंडल, दानापुर	श्रीमती सुरुची कुमारी, निम्नवर्गीय लिपिक ग्रा0का0वि0, कार्य अवर प्रमंडल, बिहटा स्वयं के ईलाज पर हुए व्यय की चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.29476	अधीक्षण अभियंता का झापांक-1621 दिनांक-19.11.2025	2256/11.12.2025
2	कार्य प्रमंडल, हथुआ	श्री आनन्द प्रकाश श्रीवास्तव, निम्नवर्गीय लिपिक, ग्रा0का0वि0, कार्य प्रमंडल, हथुआ के माता के ईलाज पर हुए व्यय की चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.15810	कार्यपालक अभियंता का पत्रांक-941 दिनांक-19.08.2025	1447/20.11.2025
	कुल		0.45286		

2. यह राशि मांग संख्या 37 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम उप मुख्य शीर्ष-00- लघुशीर्ष-001- निदेशन एवं प्रशासन- उपशीर्ष- 0009- अभियंत्रण स्थापना (ग्रा0का0वि0) के अन्तर्गत 06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु उपबंधित राशि से विकलित होगी। जिसका विपत्र कोड सं0- 37-2515000010009 है।

3. उक्त आवंटन से चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में भुगतान नियमानुसार ही किया जाया निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित होना चाहेंगे कि बकाया आदि का भुगतान पूर्व में न की गयी हो।

4. सारणी में अंकित राशि का आवंटन CFMS प्रणाली के माध्यम से किया गया है।

6. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 वि0 (2) दिनांक-17.04.1998, पत्रांक-277/वि0 दिनांक 28.03.2025 एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-4010 दिनांक- 08.04.2025 में निहित निदेशों के आलोक में निर्गत किया गया है।

7. इस आवंटित राशि का व्यय वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 475 में दिए गए निदेश के आलोक में किया जाए। इसके साथ ही वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों/नियमावली में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये।

8. आवंटन प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का संचिका सं०-13/अ०प्र०-01-16/2025 के पृ०-47/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ज्ञापांक-13/अ०प्र०-01-16/2025 370

/पटना,दिनांक-

सरकार के उप सचिव

9-1-26

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को निबंधित डाक से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक-13/अ०प्र०-01-16/2025 370

/पटना,दिनांक-

सरकार के उप सचिव

9-1-26

प्रतिलिपि : संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक-13/अ०प्र०-01-16/2025 370

/पटना,दिनांक-

सरकार के उप सचिव

9-1-26

प्रतिलिपि : संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/ मा० मंत्री के आप्त सचिव, ग्रा०का०वि०/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रा०का०वि०/संयुक्त सचिव, के आप्त सचिव, ग्रा०का०वि०/ वित्त विभाग (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक-13/अ०प्र०-01-16/2025 370

/पटना,दिनांक-

सरकार के उप सचिव

9-1-26

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि ग्रामीण कार्य विभाग के बेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड कर दी जाय।

सरकार के उप सचिव